मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 3–82/2015/18–5 भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2015

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त
2. समस्त कलेक्टर
3. आयुक्त
   म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
4. समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

विषयः– अटल आश्रय योजना की कंडिका–1 में कमजोर आय वर्ग(EWS) एवं निम्न आय वर्ग (LIG) के परिवारों की आय सीमा एवं आवासों के आकार की परिभाषा में परिवर्तन करने के संबंध में ।

संदर्भः– विभागीय पत्र कं. एफ 23–44/10/32–1, दिनांक 9 नवंबर 2011 एवं पत्र दिनांक 16.1.2013.

––

प्रदेश में कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों हेतु भवन एवं भूखंड विकास के लिए शासकीय भूमि रियायती दर पर उपलब्ध कराने के संबंध में विभाग द्वारा जारी संदर्भित ज्ञाप दिनांक 9.11.2011 की कंडिका(1) में ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवन को क्रय करने की पात्रता निर्धारित की गई थी। विभागीय पत्र दिनांक 16.1.2013 द्वारा निम्नानुसार आय सीमा पुनरीक्षित की गई थी :–

(अ)	ई.डब्ल्यू.एस	रूपये 1,00,000/– प्रतिवर्ष
(ब)	एल.आई.जी.	रूपये 1,00,001 से 2,00,000/–प्रतिवर्ष

2/ भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उनके पत्र कं. एफ न.–11026/06/2014–ppg/fp-11733, दिनांक 25.6.2015 को जारी आदेश में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को ईडब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी.भवन को क्रय करने की पात्रता हेतु अधिकतम वार्षिक आय में किये गये परिवर्तन के आधार पर ज्ञाप दिनांक 9.11.2011 की कंडिका (1) के लिए निम्न सीमा निर्धारित की जाती हैः–

आय सीमा–

(अ)	ई.डब्ल्यू.एस	रूपये 3,00,000/– तक की वार्षिक आय
(ब)	एल.आई.जी.	रूपये 6,00,000 /– तक की वार्षिक आय

आवास का आकार की सीमा–

(अ)	ई.डब्ल्यू.एस	अधिकतम कुर्सी क्षेत्र 30 वर्गमीटर
(ब)	एल.आई.जी.	अधिकतम कुर्सी क्षेत्र 60 वर्गमीटर

3/ कृपया भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा अनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

21/8/15
(अशोक कुमार मालवीय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण

u.s.

पृ0कमांक एफ 3—82 / 2015 / 18—5 भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2015

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय ।
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, भोपाल ।

21.8.15

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण

u.s.